12

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax : 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांक: एफ 40(83)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–ग्राविपराचि/शा.प./2014 जयपुर दिनांक: 4 NOV 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेन्स (Convergence) कर ("शामलात पहल" योजना) कार्य कराये जाने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.03.2015।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेन्स (Convergence) कर ("शामलात पहल" योजना) कार्य कराये जाने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1.1 पर निर्देश थे कि "समस्त योजनाओं से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियाँ महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत होने की स्थिति में आवश्यक रूप से कन्वर्जेन्स कर ही जारी की जावें तथा श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करते हुए मनरेगा योजना से वित्त पोषित किये जावे।"

उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1.1 पर दिये गये ऊपर वर्णित निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राशि की कम से कम 20 प्रतिशत राशि को महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य अनुमत होने की स्थिति में आवश्यक रूप से कन्वर्जेन्स कर ही स्वीकृति जारी की जावे तथा नियमानुसार श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना से वित्त पोषित किये जावे।

प्रासंगिक परिपत्र की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय
4/11/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पराचि, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पराचि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति समस्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अधीनस्थ कार्मिकों को भिजवावे।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. श्री रिंकू, एम.आई.एस. मैनेजर, ईजीएस को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस